राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

राज्यपाल को लोकायुक्त ने 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा

जयपुर, 28 मार्च। राज्यपाल श्री कल्याण सिंह को मंगलवार को राजभवन में लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी ने राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12(4) के अन्तर्गत 30 वें वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सौंपी।

राज्यपाल को न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी ने बताया कि प्रतिवेदन की कालावधि (दिनांक 01 अप्रेल 2015 से 31 मार्च 2016) में 6485 शिकायतें प्राप्त हुईं। इस कालावधि के दौरान 4990 शिकायतों का निस्तारण किया गया। यह लोकायुक्त संस्था के इतिहास में सर्वाधिक है। लोकायुक्त ने बताया कि पूर्व वर्षो की भांति इस कालावधि में भी सर्वाधिक नगरीय विकास एवं आवासन/स्वायत्त शासन विभाग के विरूद्ध 1057, राजस्व विभाग के विरूद्ध 1025, पुलिस विभाग के विरूद्ध 929, खान आवंटन जांच 854 तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के विरूद्ध 695 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसी प्रकार इस कालावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर आदि के आधार पर जनहित के 39 प्रकरणों में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

लोकायुक्त ने राज्यपाल को अवगत कराया है कि इस अवधि में लोकायुक्त सचिवालय स्तर पर की गयी कार्यवाही के पश्चात् 500 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। इनमें माथुर आयोग से अन्तरित 47 प्रकरण भी शामिल हैं। अनुतोष प्रकरणों की संख्या भी संस्था के इतिहास में सर्वाधिक है। इनमें राजस्व विभाग के 105, नगरीय विकास एवं आवासन/स्वायत्त शासन विभाग के 92, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के 89, विभिन्न विद्युत निगमों के 41 तथा पुलिस विभाग के 22 प्रकरणों में परिवादीगण को राहत पहुंचायी गयी। उन्होनें बताया कि इस कालावधि में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के पश्चात् 109 प्रकरणों में 168 विभिन्न लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ/निर्णीत की गयी। इनमें से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के 44, राजस्व विभाग के 29, नगरीय विकास एवं आवासन/स्वायत्त शासन विभाग के 24, पुलिस विभाग के 23, माथुर आयोग से अन्तरित प्रकरणों में 09 एवं शेष अन्य विभागों के लोकसेवकगण हैं।

इस अवसर पर लोकायुक्त सचिवालय के प्रमुख सचिव डॉ. पदम कुमार जैन, राज्यपाल की सचिव श्रीमती श्रेया गुहा और राज्यपाल के विशेषाधिकारी डॉ. अजय शंकर पाण्डेय उपस्थित थे।

———